UPMP040143422026

न्यायालय Addl C.J.M, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Garima Singh) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02423**

परिवाद सं – Criminal Misc. Cases/1696/2026

State Of U.P Vs. anil kumar

अ.स.-196/2026

धारा -303(2),317(2) BNS

थाना-भोगांव , जिला- मैनपुरी।

राज्य बनाम अनिल कुमार

दिनांक:19.06.2026

1. प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह की ओर से अपराध संख्या-196/2026 धारा-303(2),317(2) BNS थाना-भोगांव , जिला-मैनपुरी में थाने पर निरूद्ध मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना पंजीयन संख्या HR26EP9134 को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. प्रार्थी ओर से प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी की गाड़ी के सभी कागजात वैद्य है । उक्त वाहन थाना हाजा पर खुले में खड़े होने से खराब होने की संभावना है । अतः उक्त वाहन आवेदिक के हक में रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. थाने की आख्या के अनुसार प्रश्नगत वाहन थाना हाजा पर दाखिल है । धारा 203 ए एम वी एक्ट की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपनी आख्या के माध्यम से उल्लिखित किया है कि उक्त अपराध में वांछित वाहन की 203 एक्ट की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । अवमुक्ति का विरोध है ।

4. प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर सुना एवं प्रपत्रो का अवलोकन किया।

5. अभियोजन एंव थाने की आख्यानुसार प्रश्नगत वाहन थाने पर निरूद्व है। आवेदिक की ओर से अपने कथनो के समर्थन में बीमा व आर. सी. की मूल प्रति एवं आर.सी, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस व आधार कार्ड की छायाप्रति को दाखिल नही किया गया है। आवेदक मूल प्रपत्रो के लिये शपथ पत्र दाखिल करेगा प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन आवेदिक के नाम पर पंजीकृत है। आवेदिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह प्रश्नगत वाहन के पंजीकृत स्वामी है, अन्य किसी की ओर से सुपुर्दगी हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। **विधि व्यवस्था सुन्दर लाल देसाई वनाम गुजरात राज्य** 2013 (1) **जे.आई.सी.** 615 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि गाडी थाने में खडी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है प्रश्नगत वाहन के निरूद्व रहने से खराब होने का अन्देशा है एंव थाने पर निरूद्व रहने से कोई लाभप्रद उपयोग नही है एंव थाने पर खड़े रहने से उसकी उपयोगिता नष्ट होने की सम्भावना है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्नगत वाहन प्रार्थी/पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदिक अनिल कुमार का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है । सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि थाने पर निरूद्ध मोटर साईकिल बजाज प्लेटिना पंजीयन संख्या HR26EP9134 को प्रार्थी के पक्ष में निम्न शर्तों पर सुपुर्द करें ।

i. प्रार्थी/आवेदिक द्वारा मुव० 50,000/-(पचास हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंध-पत्र तथा इसी राशि की एक प्रतिभू स्वयं अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा ।

ii. कार्यवाही के दौरान पंजीकृत स्वामी उक्त वाहन का न तो विक्रय करेगा और न ही उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन करेगी तथा उक्त वाहन को पुलिस या न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसे न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा ।

iii. पंजीकृत स्वामी उक्त वाहन से सम्बन्धित अभिलेखों की तीन छायाप्रतियाँ दाखिल करेगा ।

iv. प्रार्थी उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध में यदि कोई अन्य व्यक्ति दावा प्रस्तुत करता है तो प्रार्थी न्यायालय के आदेश पर अविलम्ब यथावर्णित समय व स्थान पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं वाहन के कलर, फोटो अपने खर्चे पर तैयार कराकर विवेचक को उपलब्ध करायेगा , जिसे विवेचक केस डायरी में शामिल मिसिल करेंगे ।

तद्नुसार थानाध्यक्ष भोगांव , मैनपुरी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन, यदि किसी अपराध में वांछित न हो तथा वाहन के इंजन नं., चैसिस नं.एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करके तथा बरामद वाहन की फोटो खींचकर पंचनामा कर सुरक्षित रखें, जो साक्ष्य के स्तर पर उपयोग होगा तथा स्वामित्व के बिन्दु पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही बरामद वाहन वादी मुकदमा की उचित पहचान कर उसके पक्ष में अवमुक्त करेंगे ।

प्रभारी अधिकारी

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट संख्या–1, मैनपुरी